स० अ. 12018/5/2015- आर० डी०
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 9/9/2016

सूचना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय के तकनीकी सहायक पद के भर्ती नियमो को संशोधित कर रहा है । उक्त पद के भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

इस सम्बन्ध में अन्य अभिकरणों से विचार करने से पूर्व समस्त हितधारकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं । ऐसी कोई भी टिप्पणी दिनांक 15.10.2016 तक अवर सचिव (प्रशा०), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा नं- 330 'सी' , निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110108 को प्रेषित की जा सकती है तथा ई-प्रति ak.singh@nic.in पर भेजी जा सकती है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

अवधेश कुमार सिंह

(अवधेश कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : (011)23061323

सेवा में,

समस्त संबंधितों को ।

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2016

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय परिवार नियोजन फील्ड यूनिट/क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1968 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालयों में तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय (तकनीकी सहायक) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है |

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **आवेदन:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हता आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुलग्नक-I

अनुसूची

तकनीकी सहायक के पद हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी सहायक	6* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स [illegible] में लेवल 5	लागू नहीं	आयु 18-27 वर्ष के बीच टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अनिवार्य: गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातक वांछनीय:- (क) केंद्र/राज्य के अंतर्गत किसी संस्था में अथवा स्वायत्त संस्था में सांख्यिकीय डाटा संबंधी कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव। (ख) परिवार नियोजन संबंधी आंकड़ों के संकलन, अनुरक्षण एवं विश्लेषण की जानकारी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	पुष्टि के लिए, समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक/ क्षेत्रीय निदेशक- अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी- सदस्य 3. संबंधित प्रशासनिक अनुभाग का उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं